

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी./83-III/अलेसे-11/5181-5212

दिनांक:- 02.02.2012

कार्यालय आदेश संख्या 278/2011-12

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.बी.-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं ग्रेड-पे 4800 स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. स.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	जन्म तिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	
1.	ब्रह्मानंद साहू	05-11-1957	21-08-1984	21-08-2011	
2.	महेन्द्र कुमार पारीक	07-01-1957	28-08-1984	28-08-2011	
3.	नरेन्द्र कुमार नाराणीवाल	12-03-1961	31-08-1984	31-08-2011	
4.	रामेश्वर प्रसाद मिश्रा	03-09-1957	21-08-1984	21-08-2011	
5.	विनोद कुमार शर्मा	22-07-1959	21-08-1984	21-08-2011	
6.	देव शंकर शर्मा	21-09-1958	21-08-1984	21-08-2011	
7.	नरपत सिंह जैतावत	12-10-1956	28-08-1984	28-08-2011	
8.	नरेश कुमार मित्तल	03-08-1957	21-08-1984	21-08-2011	
9.	प्रेम प्रकाश गुर्जर	27-11-1959	27-08-1984	27-08-2011	
10.	रमेश चन्द गुप्ता	07-03-1957	30-08-1984	30-08-2011	
11.	रामस्वरूप नागर	03-07-1952	30-08-1984	30-08-2011	
12.	शुभकरण सिक्का	05-04-1959	28-08-1984	28-08-2011	
13.	सुभाष चन्द्र भार्गव	07-06-1954	27-08-1984	27-08-2011	
14.	संजय कुमार जैन	28-06-1960	29-08-1984	29-08-2011	
15.	ताराचन्द	17-03-1955	27-08-1984	27-08-2011	
16.	विष्णु अवतार गोयल	20-12-1957	27-08-1984	27-08-2011	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्रम संख्या 6 से 16 पर उल्लेखित लेखाकारों के वांछित वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है एवं उक्त प्रमाण पत्र वेतन स्थरीकरण के समय आदेश में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।


निदेशक

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी./83-III/अलेसे-11/5181-5212

दिनांक:-02-02-2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....लेखाकार, कार्यालय.....
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक- I)